निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 114 वर्ष 2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), मध्याहन भोजन योजना, वागेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), मध्याहन भोजन योजना, बागेश्वर के माह 02/2015 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री योगेश त्यागी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06.12.2016 से 19.12.2015 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णपर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामप्रीत,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मधुकर मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15.2.2015 से 27.2.2015 तक श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/2010 से 01/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2015 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः बागेश्वर जिला के अंतर्गत आने वाले समस्त सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भारत सरकार द्वारा सहायतित मध्याहन भोजन योजना को क्रियान्वन कराना।

3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	कुल	व्यय	अधिक्य(-) बचत (+)
2013-14	मध्याहन भोजन योजना	322.87	642.90	965.77	894.76	71.01
2014-15		71.01	660.07	731.08	684.20	46.88
2015-16		46.88	456.83	503.71	444.47	59.24
2016-17		59.24	312.76	372.00	267.12	104.88

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य परियोजना कार्यालय, मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ, देहारादून द्वारा किया जाता है

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक),मध्याहन भोजन योजना, बागेश्वर को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक),मध्याहन भोजन योजना, बागेश्वर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2015 एवं मार्च 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर की गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

शून्य

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : रू0 12.69 लाख के किचन कम स्टोर के निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : रू0 12.69 लाख के किचन कम स्टोर के निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।

राज्य परियोजना कार्यालय, मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ, देहरादून के पत्रांक संख्या रा.प.का. /85/एम.डी.एम.–22/2011–12 दिनांक 03.06.2011 के बिन्दु संख्या 7 में यह स्पष्ट निर्देशित है कि विद्यालयों में मध्याहन भाजन के लिए किचन कम स्टोर निर्माण कार्य तीन माह के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए एवं विकासखंड स्तर पर किच कम स्टोर के निर्माण के अनुश्रवण के लिए खंड शिक्षा अधिकारी/उपखंड शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायित्व सौंपा जाये। जिला शिक्षा अधिकारी, मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ बागेश्वर के मध्याहन भोजा येाजना के अंतर्गत विद्यालयों में किचन कम स्टोर निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित 8 विद्यालयों को किचन कम स्टोर निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गयी थी परन्तु इन विद्यालयों द्वारा निर्माण कार्य लेखापरीक्षा तिथि (11/2016 तक) पूर्ण नही किया गया था। विवरण निम्नवत् है :

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	आवंटित धनराशि/दिनांक	व्यय	खाते में पड़ी धनराशि
1	रा.प्रा.वि. करालगांव	198000/10.10.2011	115000	83000
2	इन.का. दफोट	198000/22.06.2013	88000	110000
3	रा.प्रा.वि. पंचोड़ा मल्ला	135000/22.06.2013	110000	25000
4	रा.प्रा.वि. सोली	135000/13.03.2013	50000	85000
5	रा.प्रा.वि. फलयाटी नवीन	198000/22.06.2013	120000	78000
6	रा.प्रा.वि. खलजुनी	135000/13.03.2013	40000	95000
7	रा.प्रा.वि. सक्नुडा	135000/10.02.2016	95000	40000
8	इन.का. फरसाली	135000/13.03.2013	100000	35000
	योग	**1269000**	**718000**	**551000**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विद्यालयों द्वारा धनावंटन की तिथि से तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी किचन कम स्टोर का निर्माण पूर्ण नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप न केवल रू0 5.51 लाख की धनराशि अवरूद्ध रही बल्कि यह विद्यालय इस सुविधा के लाभ से भी आतिथि तक वंचित हैं। यहां इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि वर्षों तक पड़े रहने के कारण अपूर्ण निर्माणों की स्थिति खराब हो सकती है, जिसके फलस्वरूप इन पर किया गया रू0 7.18 लाख की धनराशि का व्यय भी व्यर्थ होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने आपत्ति स्वीकारते हुए बताया कि निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि सम्बन्धित विद्यालयों के खातों में हस्तान्तरित कर दी गयी तथा कार्य पूर्ण करने की समय सीमा के बारे में विद्यालयों को अवगत करा दिया गया था। कार्य पूर्ण करने के बारे में समयान्तर्गत निर्देश दिये जाते रहे हैं जो कि अद्यतन अपूर्ण है।

अतः रू0 12.69 लाख के किचन कम स्टोर के निर्माण कार्य अपूर्ण रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
184/2014-15	शून्य	1,2	1,2

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ, बागेश्वर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या, विगत नमूना लेखापरीक्षा की नवीनतम अनुपालन आख्या एवं इसका सत्यापन।**

2. सतत् अनियमितताएः- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	श्री हीरा लाल गौतम,	जिला शिक्षा अधिकारी,	20.8.14 से 31.7.15 तक
(ii)	श्री आकाश सारस्वत,	जिला शिक्षा अधिकारी,	22.9.2015 से अभी तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ, बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय-महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र